फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

वादी [illegible] विपक्षी [illegible]

88, 188 [illegible] पत्रावली संख्या 08/08 सन्

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
26/8/17 पत्रावली पेश, सुनी अधिवक्ता उभय पक्षकारान व उभय पक्षकारान की आवाजे निवार्य गई। अभु. ही अतः अभु. रहने पर वाद वाली सड़क हाकीम सड़क पैदली से खारिज किया जाता है। पत्रावली क्रमांक पुमार होकर बस्ते में रख हो। निर्णय सुनाया गया।	

Scanned by CamScanner